

12-8-24

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 को रूक-रूक कर बार-बार आवाज लगाई गई कोई उपस्थित नहीं इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता ने एक पक्षीय अपने तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि सरहद मौजा सांचौर पटवार हल्का सांचौर तहसील सांचौर के पुराने खेत खसरा नम्बर 357 रकबा 32 बीघा 12 विरवा का प्रार्थीगण के पैतृक सम्पत्ति का आया हुआ है, जिसमें से प्रार्थीगण के पिता ने 8 बीघा जमीन अप्रार्थीगण को बैचान की थी लेकिन अप्रार्थीगण ने सहायक भू-प्रबन्धक अधिकारी से मिलावट कर 8 बीघा यानि 1.29 हैक्टर के स्थान पर 1.80 हैक्टर का नामान्तरकरण भरवाकर नवीन खसरा नम्बर 804 रकबा 1.79 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 804/3228 रकबा 0.01 हैक्टर का भरवाकर अप्रार्थीगण ने बैचान से ज्यादा जमीन अपने नाम करवा ली तथा अप्रार्थीगण ने 8 बीघा से ज्यादा जमीन पर कब्जा करने की तथा प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकियां देने पर प्रार्थीगण ने सम्पूर्ण नकलें लेकर भूमि की पैमाईश करवायी, तब प्रार्थीगण को उपरोक्त विधिविरुद्ध इन्द्राज की जानकारी हुई तब प्रार्थीगण की ओर से वाद प्रस्तुत किया है लेकिन अप्रार्थीगण वाद के दौरान प्रार्थीगण को बेदखल कर दें तथा भूमि को आगे से आगे बैचान कर वर्तमान रेकॉर्ड व मौके की स्थिति बदलकर निर्माण कर लेंगे। जिससे प्रार्थीगण के वाद का मकसद ही असफल हो जायेगा। ऐसी सूरत में अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल वाद ताफैसला तक पांबंद फरमावे।

हमने वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध को अन्तिम रूप से पुख्ता किया जाकर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी की जाती है कि मौजा सांचौर पटवार हल्का सांचौर तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर नवीन खसरा नम्बर 804 रकबा 1.79 हैक्टर भूमि में अप्रार्थीगण राजस्व रेकॉर्ड एवं मौके की यथास्थित बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम। मूल वाद के साथ संलग्न हो।

(ym)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

